

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 73/2016

दायरा दिनांक : 09.02.2016

उनवान

कमल किशोर पुत्र सोहनलाल जाति नायक, निवासी बामला, तहसील बारां,
जिला बारां

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर एवं तहसीलदार बारां, जिला बारां

.....रेस्पोंडेंट

बहस हेतु उपस्थिति :- अभिभाषक अपीलांट – श्री जितेन्द्र नागर
अभिभाषक रेस्पोंडेंट – पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक : 15.05.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर बारां के निर्णय दिनांक 21.05.2015 प्रकरण संख्या 250/2014 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार बारां के प्रकरण सं0 645/2014 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.03.2014 से अपीलांट को ग्राम बामला, तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 280 रकबा 0.20 हेक्टर, किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए 30 दिन के सिविल कारावास की सजा एवं 280/- रुपये शास्ति के दण्ड से दण्डित किया है । इस निर्णय के विरुद्ध अपीलांट की प्रथम अपील विद्वान जिला कलेक्टर, बारां द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.05.2015 से खारिज की गई है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभय पक्षीय सुनी गई ।

अपीलांट के द्वारा अपील के साथ धारा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया । न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डिले कन्डोन की जाती है ।

अपीलांट ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई नोटिस नहीं दिया गया है । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया गया है एवं समस्त पैनेल्टी राशि जमा करा दी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अतः सिविल कारावास की सजा माफ करने की प्रार्थना की ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील करवायी गयी थी। अपीलांट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । पत्रावली में पटवार मण्डल बामला की मौका रिपोर्ट दिनांक 13.05.2019 की मूल प्रति सलंगन है जिसके अनुसार ग्राम बामला की आराजी खसरा नम्बर 280 चारागाह भूमि पर अतिक्रमी कमल किशोर पुत्र सोहनलाल का खसरा नम्बर 280 चारागाह पर अतिक्रमण पाया गया । वर्तमान में अतिक्रमी कमल किशोर पुत्र सोहनलाल द्वारा खसरा नम्बर 280 चारागाह से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2015 यथावत रखा जाता है ।

आदेश आज दिनांक 15.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा